न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 06/2023.(GCMS : 2023/116)

जगदीश राय नागपाल पुत्र स्व. श्री अमरनाथ नागपाल आयु 58 वर्ष जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 43, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

बनाम

श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री अमरनाथ नागपाल आयु 77 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 41 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 07/2023.(GCMS : 2023/116)

श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री अमरनाथ जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 41, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

जगदीश राय नागपाल पुत्र श्री अमरनाथ जाति अरोडा निवासी वार्ड नं 43, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया शांति देवी एवं रेस्पोडेंट जगदीश राय नागपाल उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जगदीश नागपाल पुत्र स्व. श्री अमरनाथ नागपाल ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के आदेश दिनांक 12.06.2023 को पुर्नविवेचना की जाकर प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेज को को गंभीरता से लिया जाकर उचित एवं न्यायहित में आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

यह अपील प्रार्थी जगदीश राय नागपाल ने पुत्र की हैसियत से अपनी माता शांति देवी के विरुद्ध [illegible] माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र/पति को अपील पेश करने का कोई **अधिकारिता है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> **धारा 16.अपील**—(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित **कोई वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,**
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण— पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता—पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता—पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता— पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण [illegible] सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए अपीलार्थी जगदीश राम [illegible] पुत्र के रूप में दिनांक 15.06.2023 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्लिया शांति देवी ने कथन किया कि अपीलार्थिया एवं उसके पति अमरनाथ द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 9, 22 एवं 23 के अन्तर्गत प्रार्थना प्रस्तुत कर भरण पोषण की राशि 30,000/— रूपये मासिक व ईलाज पर व्यय हुए 15 लाख रूपये का 1/3 हिस्सा 5 लाख रूपये एवं घुटने बदलवाने पर व्यय की कुल राशि 4 लाख रूपये में से 1/3 हिस्सा दिलवाये जाने की मांग की गई थी, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा केवल 5000/— रूपये मासिक भरण पोषण की राशि दिलवायी गयी है इस भरण पोषण राशि से उसका भरण पोषण होना संभव नहीं है। इसलिए अपीलार्थिया ने **30,000 भरण पोषण एवं दुकान संख्या 50—51 साईज 15 गुणा 20 फीट (नागपाल क्लोथस)** को दिलवाने की मांग के साथ यह अपील पेश की है।

उसका आगे कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी के पति के नाम की दुकान पर कब्जा कर रखा है तथा उसमें वह व्यापार कर लाभ प्राप्त कर रहा है तथा उसके द्वारा कोई भी भरण पोषण की राशि न तो अप्रार्थी के पति को अदा की गयी और न ही उसे अदा की गयी है जबकि उसके द्वारा जवाब याचिका में झूठे तथ्य अभिकथित किये गये कि वह अपीलार्थी के पति अमरनाथ का ईलाज कर भुगतान किया है तथा उसके द्वारा ईलाज का खर्चा किया गया एवं केयर टेकर की व्यवस्था भी उसके द्वारा की गई।

उसका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसके पिता स्व. श्री अमरनाथ द्वारा उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए दुकान दी गयी [illegible] प्रार्थी संख्या 1 के नाम से एक मकान एवं दुकान [illegible] अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी [illegible] अपीलार्थी एवं उसके पति का कभी भरण पोषण नही किया गया है और न ही कभी उनकी देखभाल हेतु राशि व्यय की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में अभिकथन किया है कि उसने भरण पोषण करने से कभी इन्कार नहीं किया गया और व आज भी इस हेतु तैयार व तत्पर है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी पर हो रहे खर्चों के सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विनिश्चय नहीं किया और न ही निर्णय में यह आंकलित किया गया कि वास्तव में जो भरण पोषण हेतु अपीलार्थी द्वारा खर्चे किये जा रहे है वह सही नहीं हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी याचिका में वर्णित 30,000/– रूपये भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी थी और उसके द्वारा जो भी खर्चे अपने व अपने पति के ईलाज पर किये गये उन्हें भी वास्तविक रूप से अपीलार्थी प्रापत करने की अधिकारी थी।

इसके विपरीत अप्रार्थी/रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उसके पिता अमरनाथ नागपाल की बीमारी का ईलाज अपीलार्थी द्वारा अपने खर्चे पर करवाया जाता रहा है। ईलाज के बिल एवं दवाईयों का खर्च आदि का बिल उसके द्वारा अपने भाईयों इन्द्र कुमार व अशोक नागपाल के कहने से उन्हें भिजवाता था। उसके उक्त भाईयों ने उक्त बिलों व ईलाज की राशि को अपनी कम्पनी से उठवा कर अपने निजी उपयोग में किया गया है। जिसके लिए उसके भाई इन्द्र कुमार व अशोक नागपाल के विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है।

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा हाल ही में जिस मकान में वह निवास कर रही है, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम से उप पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़ में अपने नाम से करवाई है तथा अपीलार्थियां के नाम से वार्ड न. 43 में एक अन्य भूखण्ड भी है।

उसका आगे यह भी [illegible] की देखभाल उसके द्वारा की जाती रही है तथा अपीलार्थियां पूर्व में उसके साथ ही निवास करती रही है। कुछ समय पूर्व ही लालच में आकर अकारण ही उसके घर को छोड़कर उसके पिता अमरनाथ नागपाल को अपने साथ लेकर वार्ड नं. 41 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बने घर में शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद भी उसके द्वारा अपने माता पिता का पालन पोषण एवं देखभाल की जाती रही है तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी अपीलार्थी द्वारा की जाती रही है।

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थिया द्वारा उसके पिता अमरनाथ नागपाल की प्रोपर्टी को हड़पने के लालच में आकर अपने पुत्र इन्द्र कुमार और अशोक नागपाल तथा अपने अधिवक्ता की राय से झूठे तथ्यों के आधार पर याचिका अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उसका आगे यह भी कथन है कि दुकान संख्या 50–51 साईज 15 गुणा 20 फुट उसके **पिता अमरनाथ नागपाल के नाम से नगरपालिका सूरतगढ में लीज डीड जारी की हुई है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त दुकान के विधिक रूप से उसके पिता अमरनाथ नागपाल ही** है। अपीलार्थिया उक्त दुकान की मालिक नहीं है तथा 05 गुणा 20 फुट दुकान उसके नाम से रजिस्टर्ड है। उसके पिता द्वारा उक्त दुकान को अपीलार्थी को जो कि उनकी विधिक एवं जायज संतान होने से उसके व्यवसाय हेतु दी गई है।

उसका आगे यह भी कथन है कि उसके पिता द्वारा **अपीलार्थिया को कोई विधिक वारिस या मुख्त्यार आम व खास नियुक्त नहीं किया गया है और ना ही अपीलार्थिया की ऐसे किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति उसके पास व कब्जा में नहीं है**। जिसे अपीलार्थियां प्राप्त करने का हक व अधिकार रखती हो।

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थिया जिस आलीशान मकान में वर्तमान में निवास कर रही है उसके निर्माण में उसके द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाया गया है तथा उक्त मकान के निर्माण में उसके द्वारा बडी राशि को वहन किया गया है तथा मकान का निर्माण उसके द्वारा ही किया गया है तथा उसके द्वारा अपीलार्थिया की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा ईलाज में समय समय पर व्यय किया जाता रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भीं कथन है कि उसकी माता श्रीमती शांति देवी की 6 संताने – 1. जगदीश राय–पुत्र (स्वयं पैटीशनर), 2 माणकचंद 3 इन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार **है। जिसमें से माणकचदं अपने ताये के गोद गया हुआ है** तथा दो लडकियां है। इस प्रकार प्रार्थी सहित उसकी 05 संताने है। उक्त सभी शादीशुदा तथा बालिग है।

उसका आगे यह भी कथन है कि उसकी माता श्रीमती शांति देवी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष उसके अकेले के विरूद्ध ही अपील पेश की है जबकि उसके अतिरिक्त, उसकी माता शांति देवी के 4 अन्य पुत्र/पुत्रियां भी है, उनसे किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की गई है, जबकि समस्त पुत्रों/पुत्रियों पर उनकी माता के भरण पोषण का समान कर्तव्य है।

उसका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 12.06.2023 से प्रार्थीया श्रीमतीं शांति देवी को 5000/– रूपये भरण पोषण जमा करवाने एवं प्रार्थीया के पति मृतक अमरनाथ के नाम से सूरतगढ में स्टेशन रोड़ स्थित दुकान संख्या 50–51 (नागपाल क्लोथिरीयम) साईज 15 गुणा 20 फीट संपति को 15 दिवस में सुपुर्द करने एवं प्रार्थीया के जीवन पर्यन्त दखलंदाजी नहीं करने के आदेश दिये गये है।

उसका आगे यह भी कथन है कि उसके भाई इन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार ने उसकी माता शांति देवी से साठ गांठ कर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रकरण को अपीलार्थी से उक्त दुकान से बेदखल करवाने की नियत से पेश किया है और प्रार्थी को एक साजिश के अधीन उक्त दुकान से बेदखल करवाने का आदेश ज़ारी करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी शान्ति देवी के उसके अतिरिक्त अन्य 4 पुत्र/पुत्रियां भी है उसके अकेले के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत **माता–पिता अपनी समस्त संतानों से अधिकतम 10,000/– प्रति माह भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार है** और प्रार्थिया शांति देवी की कुल 05 संतानें है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध अधिकतम 2000/– भरण पोषण तय किया जा सकता है जबकि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने उसके अकेले को 5000/– प्रति माह भरण पोषण दिये जाने के आदेश दिये है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत उसके विरूद्ध पारित आदेश में विधिक भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2023 की पुर्नविवेचना की जाकर प्रकरण मे तथ्यों एवं दस्तावेजों को गंभीरता से लिया जाकर उचित एवं न्यायहित का आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थिया शांति देवी के दोनों पुत्रों इन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार ने उपस्थित होकर कथन किया कि वर्तमान में उनकी माता शांति देवी उनके पास रहती है तथा वे ही उनका भरण पोषण करते है तथा उनकी माता को जीवनयापन हेतु आवश्यक सुख–सुविधायें यथा–आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार आदि भी उपलब्ध करवाते है तथा अपनी माता का भरण पोषण करने अथवा देने में सक्षम है।

अप्रार्थी इन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार ने कथन किया कि उनके पिता मृतक अमरनाथ के नाम से सूरतगढ़ में [illegible] स्थित दुकान संख्या 50–51 (नागपाल क्लोथिरीयम) साईज 15 [illegible] 20 फीट है, जिस पर उनके भाई जगदीश राय द्वारा कब्जा किया हुआ है, जिसे अपीलार्थिया को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थिया ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 9, 22 एवं 23 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार दिनांक 12.06.2023 को निम्न निर्णय पारित किया है:

> अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए अप्रार्थी जगदीश राय को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुति माह दिसम्बर 2022 से लगातार अपनी माता (प्रार्थीया) श्रीमती शांति देवी को 5000/– रूपये प्रतिमाह भरणपोषण के रूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रार्थीया के एचडीएफसी बैंक लि. शाखा, सूरतगढ के बचत खाता संख्या 99999414432369 में जमा करवाकर रसीद सुरक्षित रखें। दिसम्बर 2022 से मई 2023 तक की भरण पोषण राशि इस आदेश के 30 दिवस में जमा करावें और प्रार्थीया के पति मृतक अमरनाथ (प्रार्थी सं. 2) के नाम से सूरतगढ में स्टेशन रोड़ स्थित दुकान संख्या 50–51 (नागपाल क्लोथिरियम) साईज 15 गुणा 50 फीट संपति इस निर्णय के 15 दिवस में प्रार्थीया को सुपुर्द करें एवं प्रार्थीया के जीवन पर्यन्त दखलांदाजी नहीं करे अन्यथा पुलिस बल के सहयोग से निर्णय की पालना करवाई जावेगी। निर्णय की एक प्रति प्रार्थीया को नियमानुसार निःशुल्क जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
>
> (संदीप कुमार)
> भरण पोषण अधिकरण अधिकारी एवं
> उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2023 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.06.2023 को अपास्त कर अपीलार्थिया ने याचिका में वर्णित प्रकार से 30,000/– रूपये भरण पोषण की राशि तथा उसके द्वारा अपने व अपने पति के ईलाज पर किये गये खर्चे की राशि एवं विवादित दुमान संख्या 50–51 पैमायशी 15 गुणा 20 गुणा को प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ यह अपील अपने पुत्र जगदीश राय नागपाल के विरूद्ध पेश की है।

जहां तक विवादित दुकान संख्या 50–51 पैमायशी 15 गुणा 20 फीट का प्रश्न है, जो अपीलार्थिया के पति के नाम से दर्ज किया जाना अंकित है, जिसे अपीलार्थिया ने दिलवाने की प्रार्थना की है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> 23. <u>कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा</u> : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत [illegible] को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं [illegible] शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार [illegible] है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार [illegible] या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया म[illegible] जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक अपीलार्थिया की विवादित दुकान संख्या 50—51 पैमायशी 15 गुणा 20 फीट का सम्बन्ध है जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या 1936/2022 अनवान् विनोद कुमार बनाम शांति देवी वगै. का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार उक्त अधिनियम में बेदखली का कोई प्रावधान नहीं है साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का प्रकरण संख्या 174/2021 अनवान् सुदेश छिकारा बनाम रामवती देवी अवलोकनीय किया जिसके अनुसार माता पिता अपनी संतान से उसी संपति को वापिस प्राप्त कर सकते है, जो उनके द्वारा किसी भरण पोषण कल्याण अधिनियम के अधीन लिखित दस्तावेज के द्वारा दी गई हो। **चूंकि प्रार्थिया द्वारा** ऐसा कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त दुकान भरण पोषण की शर्त में दी गई है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के मार्गदर्शन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का दुकान से बेदखल करने की हद तक का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। **अपीलार्थिया उक्त विवादित दुकान हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट जगदीशराय नागपाल से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 में निम्न प्रावधान है:

> 4. माता—पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण—
> (1) माता— पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण—पोषण करने में असमर्थ है—
> (i) माता—पिता या पितामही, पितामह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरुद्ध, जो अवयस्क नही है।
> (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरुद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता-पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता-पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे 30,000/- रूपये प्रति माह भरण पोषण दिलाया जावे। इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 अवलोकनीय है जों निम्न प्रकार से है:-

9. भरण पोषण हेतु आदेशः- (1) यदि सन्तान या संबंधी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों का या संबंधियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय समय से निर्देश दें।

(2) अधिकतम भरण पोषण भता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रतिमास दस हजार से अधिक नही होगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त धारा 9(1) के तहत माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और संतान भरण पोषण करने से अपेक्षा करती है तो **माता पिता अपनी समस्त संतानो से 10,000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण पाने के हकदार है** और अधिकरण जैसा ठीक समझे भरण पोषण निर्धारण कर सकता है। **धारा 9(2) के तहत ऐसा भरण पोषण भत्ता 10000/– रूपये प्रति माह से अधिक देय नही होगा।**

अपीलार्थिया की तीन पुत्र एवं दो पुत्रियां है तथा अपीलार्थिया की दोनों पुत्रियां विवाहित है। **अपीलार्थिया के तीनो पुत्र जगदीश राय, इन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार है जो आर्थिक रूप सम्पन्न है तथा अपनी माता शांति देवी का भरण पोषण करने में सक्षम है तथा तीनों पुत्रों ने उपस्थित होकर भरण पोषण राशि देने में राजमंदी भी जाहिर की है।** इसलिए उक्त तीनों पुत्रों को निर्देशित किया जाता है कि **उनमें से एक पुत्र जो अपनी माता शांति देवी को अपने पास रखकर भरण पोषण करेगा तथा उसे छोड़कर शेष दोनों पुत्र अपनी माता शांति देवी को पांच–पांच हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में अदा करेगें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का दुकान से बेदखल करने की हद तक का आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलार्थिया की तीनों संताने **जगदीश राय, इन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार में से एक संतान(पुत्र) अपनी माता को अपने साथ रखकर उसका भरण पोषण करेगा तथा शेष दो संताने पांच–पांच हजार प्रतिमाह अपनी माता शांति देवी को उसके बैंक खाता में जमा करवायेगें।** अधिनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपी[illegible] रेस्पोडेंट को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर